



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	प्रतिलिपि देने के लिए आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date of making over the copy to the applicant
14/12/22	18/12/22
14/12/22	18/12/22

FOLIO NOT AVAILABLE

468

खता नं० 352

जमशेदपुर अधिवक्ता क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

तौजी सं०

स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो

गौव मोहल्ला पट्टी

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लॉट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		(1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोप्रिसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंधत बात यदि हो।	
		खेसरा संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस		
352	मदन लाल अधवाल पिता फलचन्द अधवाल निवासी बिलवाडी	468	रु. 3/2/2 व. 4/4/2 द. लक्ष्मी आशुपति दास	दीन दो - कि. 22	1.12.10		8	9	10	
							1694 प्लॉट - सोलह रुपये चौदस रुपये पैस अधोवे सेस			कायमी

यह स्वत्व अभिलेख जोधनपुर कालकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका संवर्धन अधिनियम 1920 की धारा 104 के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 24. Dec 1922... को किया गया

अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 24. Dec 1922 को स्वीकृत हुआ

Certified to be True Copy
11/12/22

Head Clerk to the Settlement office is authorised: Us 76 of the Indian Evidence Act. 1872

गुलना किया

प्रतिलिपि

12-7-22

बन्दीकसे पराधिकार
भंडार भू

